न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 108 / 2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017 / 00286

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
1. देवाराम पुत्र स्व. श्री नेतीया उर्फ नेताराम जी 2. छोगाराम पुत्र स्व. श्री दला उर्फ दलाराम जी जातिगण मीणा, निवासीगण बलवना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) हाल निवासी स्वरूपगंज, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही (राज.)		1. भुराराम पुत्र चुनाराम जाति ढोली निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली। 2. श्रीमान तहसीलदार (भूमिधारी महोदय), सुमेरपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :– अपीलांट की ओर से श्री नारायणलाल कुमावत उपस्थित
रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 16-4-21

यह अपील अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ग्राम बलवना के खसरा नं. 573 / 1 रकबा 0.600 हैक्टेयर भूमी का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक / राजस्व / संपरिवर्तन / 2015 / 372–376 दिनांक 16 / 3 / 2015 के विरूद्ध पेश की गई है। तथा म्याद बाहर होने से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब कर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा ग्राम बलवना तहसील सुमेरपुर के गत खसरा नंबर 213 रकबा 2।)1 बीघा (सवा दो बीघा एक बिस्वा) किस्म बारानी प्रथम के खातेदार अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता स्व. नेतीया व दला पिसरान गोमा मीणा के नाम दर्ज थी अपीलांट संख्या 1 के पिता नेतिया उर्फ नेताराम की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व व अपीलांट संख्या 2 के पिता दला की मृत्यु 13 वर्ष पूर्व हो चूकी है नेतिया के विधिक वारिसान अपीलांट संख्या 1 देवाराम व उसकी माता गजी बाई है तथा दला के विधिक वारिसान अपीलांट संख्यार 2 छोगाराम व उसका भाई शांतीलाल है। स्व. नेतिया व दला पिसरान गोमा कौम मेणा संवत 2015 व जमाबंदी संवत 2013 से 2017 व सवंत 2026 से 2030 में बतौर खातेदार दर्ज थे। उक्त दोनों नेतिया व दला पिसरान गोमा मेणा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। उक्त आराजी को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बिना बेचाण हस्तान्तरण के अवैध तरीके से रेस्पोडेंट संख्या 2 से मिलावट कर उक्त कृषी भूमी को बेचाण हस्तान्तरण बताकर राजस्व रेकर्ड के अनुसूचित जाति के व्यक्ति भूराराम ढोली का नाम इन्द्राज करवाकर नियम विरूद्ध हस्तान्तरण करवा लिया। उक्त हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करके किया गया है। जिसमें अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम की भूमी का अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण हुआ है। इससे रेस्पोडेंट संख्या 1 को खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। न ही अपीलांट को अपीलाधीन आदेश प्राप्त करने का हक अधिकार था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम की खातेदारी भूमी का हस्तान्तरण किसी अन्य जाति के हक में नहीं किया जा सकता है इस प्रकार रेस्पोडेंट ... कार्यवाही प्रारंभ से शून्य है जबकि उक्त कृषि भूमी पर अपीलांटगण का कब्जाकाश्त है तथा ... दिनांक तक उस भूमी पर काश्त करते आ रहे ... वर्तमान में भूमी अपील... एवं उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम दर्ज है। अतः ऐसे प्रारम्भ से शून्य आदेश के लिए म्याद के बिन्दु को गौण माना जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralhi
Date: 2021.08.16 19:30:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

वकील अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 7/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2016 तथा श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के राजस्व अपील संख्या 110/2016 एवं 111/2016 के निर्णय दिनांक 15.02.2017 की प्रति पेश की गई । साथ ही उक्त आराजी खसरा नंबर 573/1 की वर्ष 2074–2077 की जमाबंदी की फोटोप्रतियां भी पेश की है।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि जैर अपील आराजी रेस्पोडेंट की क्रयसुदा है तथा उस पर रेस्पोडेंट का लम्बे समय से कब्जा है तथा उसके द्वारा कुछ भूमी बेचाण भी कर दी गई है एवं जैर अपील आराजी का संपरिवर्तन करवा दिया गया है संपरिवर्तन हो जाने से उक्त भूमी का हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हक में किया गया जो विधीसम्मत है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 1779/2015 बअनवान नेतिया के वारिसान देवाराम वगैरा बनाम भूराराम वगैरा के निर्णय दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादिगण का वाद बाबत खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया गया जिसको आधार मानते हुए अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें।

बहस सुनी गई पत्रावली एवं उसमें प्रस्तुत दस्तावेजात तथा तहसीलदार सुमेरपुर से प्राप्त संपरिवर्तन आदेश पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आराजी नेतीया , दला पुत्रगण गोमा के नाम थी जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है उनके नाम से उक्त आराजी अन्य खातेदार भूराराम पुत्र चूनाजी ढोली के नाम जरिये बेचाण हस्तान्तरित होना जाहिर किया है जो किसी भी विधी से हो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का उल्लंघन है। जो प्रारम्भ से शुन्य (Null And Void) होने से निरस्त योग्य है इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के नामांतरकरण अपील संख्या 07/2016 निर्णय दिनांक 20.05.2016 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 25.04.1971 को विधिविरूद्ध माना गया है। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 18.07.2016 को खारिज किया गया है। जिसकी अपील अति. संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील संख्या 110/2016 व 111/2016 भूराराम से आराजी को एक भाग के क्रेता मीराबाई पत्नी शंकरलाल मेघवाल द्वारा कि गई। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 15.02.2017 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 07/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2016 एवं तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 59 के संबंध में उस पर पारित निर्णय दिनांक 18.07.2016 दोनों को यथावत रखा गया है। तथा नामान्तरकरण संख्या 59 जिससे जैर अपील आराजी का हस्तानान्तरण अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति के नाम से कर दिया जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत बेचाण हस्तानान्तरण माना है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के यथावत रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा इसी आराजी के संदर्भ में पारित डिक्री अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रकरण संख्या 1779/2015 नेतीया के वारिसान वगैरा बनाम भूराराम पारित निर्णय दिनांक 10.06.2016 के अनुसार वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया है जो मीरा देवी को पक्षकार नहीं बनाने तथा भूमि संपरिवर्तित हो जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) के तहत राजस्व भूमी की परिभाषा में नहीं आने से क्षेत्राधिकार के बिनाय पर खारिज किया गया है जिससे यह प्रकरण किसी प्रका[illegible]करण संख्या 692 दिनांक 23.05.2017 के अनुसार अपीलांटगण [illegible] नेताराम व गजीबाई पत्नी स्व. नेताराम, छोगाराम पुत्र [illegible] दलाराम जातिगण मीणा निवासी बलवना तहसील [illegible] चूनाराम जाति ढोली के स्थान पर खातेदार दर्ज कर दिया गया है ऐसी [illegible]थिति में संपरिवर्तन आदेश को भी यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। धारा 42 का उल्लंघन कर दर्ज अनुसूचित जनजाति के स्थान पर अनुसूचित जाति के काश्तकारों को दर्ज करना विधी विरूद्ध होने से उसके पश्चातवृती हस्तान्तरण भी Null And Void होने से निरस्तनीय है। इस बाबत न्यायिक दृष्टांत RBJ (20) 2013 इस प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:30:38 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश 3

Section 42 (B)- Transfer of land by member of Scheduled Tribe to member of other caste is Ab-Initio-void. Limitation will not be in focus. After insertion of proviso in Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act. w.e.f. 22.9.1956 in view of clear prohibition continued in said proviso, transfer of land by sale, gift or bequest by a member of Scheduled Caste or Tribe to member of other caste not being Scheduled Caste or Scheduled Tribe is void being prohibited by law and this being against the public policy and as per Section 23 of the Indian Contract Act, such sales cannot be enforced against the member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe. A void order can be examined at any stage on merits and the issue of limitation will not be in focus.

उक्त न्यायिक दृष्टांत एवं भारतीय कॉन्ट्रेक्ट एक्ट, की धारा 23 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की भूमी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचाण की जाने से एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार प्रतिबंधित होने से उक्त बेचाण लोकनीति के विरूद्ध होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता अर्थात उक्त बेचाण एवं उसके पश्चातवृति बेचाण एवं उसके बाद की गई भूमी रूपान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ से शून्य (Null And Void) है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार मानते हुए स्वीकार की जाना विधी सम्मत है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन संपरिवर्तन `आदेश क्रमांक/राजस्व/संपरिवर्तन/2015/372-376 दिनांक 16.3.2015 को तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया उसे निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार से प्राप्त संपरिवर्तन पत्रावली पालनार्थ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16-4-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Ansh
(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान) न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:30:38 IST
Reason: SelfAttested